उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1796/ग्यारह-9(114)/12-उ0प्र0अधि0-5-2008- आदेश-(124)-2014

दिनांकः 19 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

संशोधन

अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 141 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्ः-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	**2**
141	आगरा एवं वाराणसी में नागरिक वायुयान को विक्रीत एविएशन टरबाईन फ्यूल।
142	समस्त अन्य घोषित माल

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।

http://http://shasanadesh.up.nic.in/